न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 199/15 पुनः दर्ज 66/2018

1. फूलचन्द पुत्र रामेश्वर
2. राधाकृष्ण पुत्र प्रहलाद
3. चम्पा देवी पत्नी कैलाश
4. नन्दकुमार पुत्र कैलाश
5. अर्जुन पुत्र कैलाश

समस्त जाति कुमावत निवासी साईवाड़ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

प्रहलाद पुत्र घासी
महेश पुत्र घासी
जगदीश पुत्र घासी
गोपाल पुत्र घासी

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी साईवाड तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

बहादुर सिंह पुत्र बनेसिंह राजपूत नि0 साईवाड़ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
पटवार हल्का साईवाड़ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
उपपंजीयक अधिकारी शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

नीरज पुत्र कैलाश कुमावत नि0 साईवाड़ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
0. सोहन पुत्र प्रहलाद कुमावत नि0 साईवाड़ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

आदेश दिनांक 15/9/2020

दावा वादीगण संक्षेप में निम्न प्रकार है कि श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर के आदेश दिनांक 11.02.2017 की पालना में वादीगण के द्वारा यह वाद पत्र बाबत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया गया कि आ.ख.न. 735/1 रकबा 3 बीघा, 736 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा मय दीगर आ.ख.नं. 669 रकबा 3 बिस्वा वाके ग्राम साईवाड़ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर स्थित है। जिसकी साबिक खातेदारी वादीगण के पूर्वज रामेश्वर पुत्र सुरजा के नाम अंकित है नकल जमाबन्दी साबित सम्वत 2036 से 2039 सलंग्न वादपत्र है। वादीगण के पूर्वज रामेश्वर की उपरोक्त साबिक भूमि से लगती हुई उत्तर की तरफ साबिक आ.ख.नं. 737 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा, 739 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा स्थित है जिसकी साबिक खातेदारी घासी पुत्र नन्दा के नाम अंकित है और दक्षिण में साबिक ख.नं. 734 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा स्थित है, जिसकी साबिक खातेदारी सूजा दर्जी के नाम दर्ज है। वादीगण आ.ख.न. 735/1 रकबा 3 बीघा, 736 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा पर अपने पूर्वज रामेश्वर के समय से आज तक लगातार बिना किसी बाधा के काबिज रहकर काश्त व उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वर्तमान में भी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सो के अनुसार काबिज रहकर काश्त व उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

वादीगण के पूर्वज रामेश्वर की खातेदारी की उपरोक्त भूमि के हाल सेटिलमेन्ट कार्यवाही में मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल ख.नं. 1268/0.59, 1264/0.91, 1265/0.02 कुल किता 3 रकबा 1.52 है0 निर्धारित किये जाकर उसकी खातेदारी वादीगण के पूर्वज रामेश्वर के नाम अंकित की गयी है जो कि मौका स्थिति व साबिक नक्शा के विपरित होने के कारण गलत है व साबिक रिकार्ड से 0.21 है0 रकबा कम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। साबिक खसरा नं0–737 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा, 739 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा के मिलान क्षैत्रफल के अनुसार हाल खसरा नं0–1262/0.01, 1263/3.10 है0 निर्धारित किये गये है, जिसको हाल नक्शा ट्रेस में साबिक के मुकाबले ज्यादा बडा बनाकर हाल रिकार्ड में रकबा करीब 0.13 है0 ज्यादा दर्ज किया गया है व साबिक खसरा नं0–734 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

सं0–735/2 रकबा 8 बिस्वा, 741/3 रकबा 5 बिस्वा कुल किता–3 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा जिसकी पूर्व खातेदारी जमाबन्दी सं0–2036 से 2039 मदनलाल, छगनलाल पि0 सूरजमल 2/3 रूडमल, गजानन्द पि0 भगतराम 1/3 कौम दर्जी के नाम रही है, का मिलान क्षैत्रफल के अनुसार हाल आराजी खसरा नं0–1266/1.18 है0 वाकै ग्राम साईवाड निर्धारित किया गया है, जिसकी वर्तमान खातेदारी प्रतिवादी सं0–5 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है जो कि साबिक रकबे के मुकाबले करीब 0.23 है0 अधिक दर्ज की गयी है एवं साबिक खसरा नं0–735/4 रकबा 9 बिस्वा जिसकी गैरखातेदारी प्रतिवादी सं0–1 से 4 के नाम दर्ज है का हाल सेटलमेन्ट में हाल खसरा नं0–1267/1326 निर्धारित किया गया है जो कि साबिक नक्शा ट्रेस मौका स्थिति के विपरीत है।

यहकि वादीगण के द्वारा अपने वाद पत्र में यह कथन भी किया गया है कि हाल आराजी खसरा नं0–1266/1.18 है0 मे से 0.1250 है0 भूमि अंजली निर्माण प्राईवेट लिमिटेड 34 ए कैंटकैफ स्ट्रीट कलकत्ता के नाम प्रतिवादी सं0–5 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवा दी, तत्पश्चात उक्त अजंली निर्माण प्रा0 लि0 ने नामान्तकरण सं0–994 दिनांक–20.05.2013 के जरिये बेचान के द्वारा मेट्रो मैक्स स्फाटेक प्रा0 लि0 बी–11/8185 बसन्त कुंज न्यू दिल्ली–110070 जरिये निदेशक मनीष देव पुत्र अर्जुन देव पंजाबी के नाम दर्ज हुयी तत्पश्चात नामान्तकरण सं0–1123 दिनांक–25.03.2015 के समपर्ण के द्वारा रास्ता चक रास्ता के रूप में स्वीकार हुआ है जिसका हाल राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0–1266/1 बनाया गया व शेष रकबा हाल खसरा नं0–1266/2 रकबा 1.0550 है0 प्रतिवादी सं0–5 के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है हाल सेटलमेन्ट कर्मचारीयो को साबिक सेटिलमेन्ट में राजस्व रिकार्ड की हाल सेटिलमेन्ट में केवल मात्र पुनरावृति करनी होती है, तथा कानूनन बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से साबिक रिकार्ड से हाल राजस्व रिकार्ड बनाते समय परिवर्तन नहीं किया जा सकता हाल सेटलमेन्ट कर्मचारीयो के साबिक खसरा नं0–735 के उत्तरी हिस्से को हाल खसरा नं0–1262, 1263 में दर्शित करते हुये साबिक खसरा नं0–737 से बनना दर्शाते हुये उसकी खातेदारी प्रतिवादीगण सं0–1 से 4 के नाम कर दी जिसे साबिक खसरा नं0–735/4 रकबा 9 बिस्वा का रकबा शामिल कर दिया प्रतिवादीगण सं0–1 से 4 की साबिक खसरा नं0–735/4 गैर खातेदारी का गलत रूप से हाल खसरा नं0–1267/1326 रकबा 0.11 है0 निर्धारित कर उक्त खातेदारी प्रतिवादीगण सं0–1 से 4 के नाम पृथक से दर्ज कर दी जो कि गलत है क्योंकि उपरोक्त हाल खसरा नं0–1267/1326 रकबा 0.11है0 साबिक खसरा नं0–735/4 का भाग न होकर वादीगण व उनके पूर्वजो की खातेदारी भूमिखसरा नं0–735/1 का भाग है जिस पर वादीगण का अपने पूर्वजो के समय से कब्जा चला आ रहा है व वादीगण की साबिक खसरा नं0–736 की करीब 0.05 है0 दक्षिण की तरफ हाल खसरा नं0–1263 मे 0.005 है0 उत्तरी तरफ हाल खसरा नं0 1266 में वादीगण की खातेदारी भूमि से लगती हुई को शामिल कर दी, इस प्रकार वादीगण को 0.05 है0 भूमि का हाल खसरा नं0–1263 मे से दक्षिण की तरफ व 0.05 है0 भूमि का हाल खसरा नं0–1266 मे से व खसरा नं0–1267/1326/0.11 है0 का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर वादीगण के साबिक रिकार्ड के अनुसार खातेदारी पूर्ण की जाना आवश्यक है व इसके अलावा साबिक नक्शा हाल नक्शा ट्रेस भी हाल पैमाईश में साबिक नक्शो के अनुसार नहीं बनाकर मौका एवं कब्जा रकबा वस्तुस्थिति के विपरीत हाल नक्शा ट्रेस बनाया है जो गलत है हाल खसरा नं0–1267/1326 रकबा 0.11 है0 पर कभी भी प्रतिवादीगण सं0–1 से 4 व उसके पूर्वजो का किसी प्रकार से कोई कब्जा अधिकार एवं सम्बन्ध नहीं रहा है एवं न ही वर्तमान में है तथा प्रतिवादीगण सं0–1 से 4 की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नं0–735/4 रकबा 9 बिस्वा को हाल सेटलमेन्ट की कार्यवाही में हाल आराजी खसरा नं0–1263 में व खसरा नं0–1260 के लगती हुई दक्षिण की तरफ शामिल कर दिया गया वहीं पर प्रतिवादी सं0–1 से 4 काबिज रहे है । मिलान क्षैत्रफल में हाल आराजी खसरा नं0–1263 को साबिक खसरा नं0–737 मी. 739 हाल खसरा नं0–1266 को साबिक खसरा नं0–741/3, 735/2, 734 से बनना बताया है वह भी गलत क्योंकि मौके एवं नक्शे के अनुसार यह साबिक खसरा नं0–736 से भी बनना प्रतीत होता है।

यहकि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि हाल खसरा नं0–1268 से लगते हुये उत्तर की तरफ हाल खसरा नं0–1263 मे से मनीष देव से हिस्सा 1166/18755 खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण सं0–1144 के हुई है व वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का एक जाव बना रखा है व काबिज है। व वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के उक्त काश्त व खातेदारी भूमि जो कि हाल पैमाईश में हाल खसरा नं0–1263 में दक्षिण की तरफ 0.05 है0 मनीष देव तथा हाल खसरा नं0–1266/2 के उत्तर की तरफ 0.05 है0 हाल खसरा नं0–1267/1326 रकबा 0.11 है0 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से उनके मन में दुर्नियति आ गयी व प्रतिवादीगण ने आपस में मिलकर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर स्वंय कब्जा करने व अन्य दीगर के उक्त भूमि या इसका कोई भी भाग अन्तरण करने व इसका ट्रांसफर डीड पंजीकरण कराने की वाद दायरी के 3 रोज पूर्व धमकी दी।

यहकि वादीगण द्वारा व अन्य द्वारा प्रस्तुत अपील सं0–463/16, 465/16 माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के यहां विचाराधीन में दिनांक–30.01.2017 को मनीष देव से हाल खसरा नं0–1263 के सम्बन्ध में राजीनामा होने से राजीनामा अनुसार वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी होने से खसरा नं0–1263 के सम्बन्ध में विवाद मनीष देव से समाप्त हो गया। तत्पश्चात शेष भूमि

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

बाबत प्रकरण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय 11.02.2017 द्वारा प्रतिप्रेषित किया गया अन्त में वादीगण ने अनुतोष चाहा कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं0–1268, 1264 से दक्षिण की तरफ स्थित हाल खसरा नं0–1266/2 की उत्तरी 0.05 है0 व हाल खसरा नं0–1267/1326 रकबा 0.11 है0 कुल किता–2 रकबा 0.16 है0 ग्राम साईवाड तह0शाहपुरा, जिला जयपुर का वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके हिस्से के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसका अमल दरामद हाल राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में कराया जाकर उक्त भूमि की प्रतिवादीगण के नाम दर्ज खातेदारी हटवायी जाकर दुरूस्ती की जावे व प्रतिवादीगण उनके नौकर, प्रतिनिधि, एजेन्ट व स्थानापन्नो को सदैव के लिये पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं0–1268, 1264, से लगती हुई दक्षिण की तरफ स्थित हाल खसरा नं0–1266/2 की उत्तरी 0.05 है0 व हाल खसरा नं0–1267/1326 रकबा 0.11 है0 कुल रकबा 0.16 है0 ग्राम साईवाड पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा नहीं करे, बल्कि उन्हे शांति पूर्वक काबिज रहकर सुचारू रूप व पूर्णरूप से उपयोग उपभोग करने देवे व अनुतोष चाहा।

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत होने पर वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तल्बी हेतु सममन जारी किये गये दिनांक–09.12.2015 को प्रतिवादीगण सं0–1, 2, 4 स्वंय उप आये व प्रतिवादी सं0–5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आया उक्त प्रकरण दिनांक–17.02.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट साईवाड में खारीज किया गया जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के यहां अपील सं0–465/2016 उनवानी राधाकिशन बनाम प्रहलाद वगै0 दायर की गयी व अन्य अपील सं0–463/2016 राधाकिशन बनाम मेट्रोमैक्स प्रस्तुत की राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने उपरोक्त दोनो अपीलो को मेट्रोमेक्स जरिये मनीष देव से राजीनामा होने के आधार पर अपने निर्णय दिनांक–11.02.2017 द्वारा खसरा नं0–1263 के सम्बन्ध में विवाद समाप्त होने से अन्य भूमि के निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया व राजस्व अपील प्राधिकारी से आने के पश्चात वादीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय की पालना में संशोधित वाद पत्र पेश किया गया व प्रतिवादीगण की तल्बी जरिये सम्मन की गयी तत्पश्चात प्रतिवादी महेश गोपाल दिनांक–27.02.2019 को उपस्थित आये व उसके पश्चात उनके उपस्थित नहीं आने व प्रहलाद जगदीश बहादुर सिंह की तामील जरिये रजिस्टर्ड एडी से होना मानकर दिनांक–11.03.2019 को एक पक्षीय आज्ञा पारित की गयी तथा एक पक्षी वादी में पी.डब्लू–1 फूलचन्द, पी.डब्लू–2 सुरेश के शपथ पत्र पेश हुये व दस्तावेज वादी के प्रदर्श कराये गये।

बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई पत्रावली के रिकार्ड पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया तथा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के द्वारा अपील सं0–465/2016 एवं अपील सं0–463/2016 में पारित निर्णय देखा गया प्रदर्श–14 नकल जमाबन्दी सं0–2035 से 2038 में साबिक खसरा नं0–735/1 रकबा 3 बीधा 736 रकबा 3 बीधा 18 बिस्वा ग्राम साईवाड रामेश्वर पुत्र सूरजा खण्डवाल के नाम खतेदारी दर्ज है इससे इस तथ्य कि ताईद होती है, कि वादीगण का पूर्वज रामेश्वर पुत्र सूरजा साबिक आराजी खसरा नं0–735/1 रकबा 3 बीधा 736 रकबा 3 बीधा 18 बिस्वा, साबिक खसरा नं0–669 रकबा 3 बिस्वा वाकै ग्राम साईवाड का खातेदार काश्तकार था तथा प्रदर्श–17 साबिक नक्शा ट्रेस के अवलोकन करने पर उक्त भूमि साबिक खसरा नं0–735, 736 से लगती हुई उत्तर की तरफ साबिक खसरा नं0–737, 739 स्थित है तथा प्रदर्श–13 नकल जमाबन्दी साबिक सं0–2008 से 2027 खतौनी बन्दोबस्त में घासी पुत्र नन्दा के नाम अंकित है तथा साबिक खसरा नं0–735, 736 के दक्षिण में साबिक खसरा नं0–734 साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श–17 से स्थित है की पुष्टि होती है तथा प्रदर्श–12 नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) सं0–2008 से 2027 में साबिक खसरा नं0–734 रकबा 3 बीधा 3 बिस्वा की खातेदारी सूजा दर्जी नाम होने से वादीगण के द्वारा वादी में कथित तथ्यो की पुष्टि होती है इस प्रकार से उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य बखूबी साबित है कि साबिक खसरा नं0–735/1 रकबा 3 बीधा, 736 रकबा 8 बीधा 18 बिस्वा कुल किता–2 रकबा 8 बीधा 18 बिस्वा वादीगण के पूर्वज रामेश्वर के नाम से खातेदारी दर्ज रही है, जिसमें अन्य किसी का कोई सम्बन्ध अधिकार नहीं रहा है, तथा रामेश्वर अपने जीवनकाल में तथा उसके फौत होने के पश्चात वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण काबिज रहकर काश्त एवं उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिसका वादीगण के द्वारापेश दस्तावेजी साक्ष्य के साथ मौखिक साक्ष्य से भी समर्थन होता है।

नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–2, 3 के अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता हैकि साबिक खसरा नं0–735/1 रकबा 3 बीधा, 736 रकबा 3 बीधा 18 बिस्वा कुल किता–6 बीधा 18 बिस्वा के हाल खसरा नं0–1268/0.59 है0, 1264/0.91, 1265/0.02, कुल किता–3 रकबा 1.52 है0 निर्धारित किया जाकर उसकी खातेदारी प्रदर्श–7 नकल जमाबन्दी सं0–2068 से 2071 में रामेश्वर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है जो कि साबिक रिकार्ड में 0.21 है0 रकबा कम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना पाया जाता है, तथा उक्त साबिक खसरा नं0–735/1, 736 तथा उससे मिलान क्षैत्रफल के अनुसार बनाये गये हाल खसरा नं0–1268, 1264, 1265 का साबिक एवं हाल नक्शा ट्रेस का अवलोकन कर मिलान करने पर उनकी मौका स्थिति गलत प्रतीत होती है, तथा साबिक खसरा नं0–737 रकबा 8 बीधा 18 बिस्वा, 739 रकबा 3 बीधा 8 बिसवा का मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–2, 3 के अनुसार हाल खसरा नं0–1262/0.01, 1263/3.10 है0 निर्धारित किया गया है, तथा उक्त साबिक एवं हाल नम्बरान का पुराना एवं हाल नक्शा ट्रेस की तुलना करने पर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जिला जयपुर)

क्त खसरा नं0–1262, 1263 को हाल नक्शा ट्रेस में साबिक के मुकाबले ज्यादा बडा बनाकर हाल रिकार्ड रकबा साबिक की तुलना में 0.13 है0 ज्यादा दर्ज किया जाना स्पष्ट होता है।

साबिक खसरा नं0–734 रकबा 3 बीधा 3 बिस्वा, खसरा नं0–735/2 रकबा 8 बिस्वा, 741/3 रकबा 5 बिस्वा कुल किता–3 रकबा 3 बीधा 16 बिस्वा की पूर्व खातेदारी नकल जमाबन्दी सं0–2036 से 2039 प्रदर्श 15 के अनुसार मदनलाल, छगनलाल पि0 सुरजमल 2/3, रूडमल, गजानन्द पि0 भगताराम कौम दर्जी के नाम होने की पुष्टि होती है, तथा जिसका मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–3 में हाल खसरा नं0–1266 रकबा 1.18 है0 वाकै ग्राम साईवाड निर्धारित किया गया है, जिसकी खातेदारी प्रतिवादी सं0–5 बहादुर सिंह के नाम रही है उक्त साबिक एवं हाल रकबा की तुलना करने पर साबिक रकबे के मुकाबले 23 एयर भूमि अधिक दर्ज होना स्पष्ट होती है तथा साबिक खसरा नं0–735/4 रकबा 9 बिस्वा प्रदर्श–16 नकल साबिक जमाबन्दी सं0–2035 से 2038 में प्रतिवादीगण सं0–1 से 4 केनाम गैरखातेदारी दर्ज होने की ताईद होती है तथा जिसके मिलान क्षैत्रफल के अनुसार हाल खसरा नं0–'1267/1326 बनाया जाना स्पष्ट है तथा साबिक खसरा नं0–735/4 एवं हाल खसरा नं0–1267/1326 का साबिक एवं हाल नक्शा ट्रेस का अवलोकन कर तुलना करने पर हाल खसरा नं0–1267/1326 साबिका नक्शा ट्रेस की मौका स्थिति से विपरीत होना प्रतीत होता है।

हाल आराजी खसरा नं0–1266/1.18 है0 मे से 0.125 है0 भूमि अजली निर्माण प्रा0 लि0 34ए, टकैम्प स्ट्रीट के राजस्व रिर्काड में परिवर्तन करवाने तत्पश्चात उक्त अंजली निर्माण प्रा0 लि0 ने नामान्तकरण सं0–994 दिनांक–20.05.2013 के जरिये बेचान के द्वारा मेट्रो मैक्स इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 नं0–11/8185 जरिये निदेशक मनीष देव के नाम दर्ज होना तत्पश्चात नामान्तकरण सं0–1123 दिनांक–25.03.2015 के समपर्ण के द्वारा सिवाय चक रास्ता के रूप में स्वीकार होना तथा हाल राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0–1266/1 बनाया जाना तथा शेष रकबा हाल खसरा नं0–1266/2 रकबा 1.055 है0 प्रतिवादी सं0–5 के नाम राजव रिकार्ड में दर्ज होना यह समस्त तथ्य वादीगण के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है।

यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्तहै कि हाल सेटलमेन्ट कर्मचारीयो को साबिक में केवल मय जनरावृति करनी होती है, तथा कानून बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से साबिक रिकार्ड में हाल राजस्व रिकार्ड बनाते समय परिवर्तन नहीं किया जा सकता है यदि इस प्रकार से कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने लायक होता है हाल सेटलमेन्ट कार्यवाही में साबिक खसरा नं0–1262, 1263 में दर्शित करते हुये व साबिका खसरा नं0–737 से बनना दर्शाते हुये उसकी खातेदारी प्रतिवादीगण सं0–1 से 4 के नाम कर दी जिसमें प्रतिवादी सं0–1 से 4 के साबिक खसरा नं0–735/4 रकबा 9 बिस्वा का रकबा शामिल कर दिया यह तथ्य भी साबिक एवं हाल नक्शा ट्रेस की तुलना करने पर एवं नकल जमाबन्दी के आधार पर पुस्त होता है तथा इसके अलावा प्रतिवादीगण सं0–1 से 4 की साबिक खसरा नं0–735/4 गैरखातेदारी का गलत रूप से हाल खसरा नं0–1267/1326 रकबा 0.11 है0 निर्धारित कर उक्त खातेदारी प्रतिवादीगण सं0–1 से 4 के नाम गलत रूप में पृथक से कर दी क्योंकि हाल खसरा नं0–1267/1326 रकबा 0.11 है0 साबिक खसरा नं0–735/4 का भाग न होकर साबिक खसरा नं0–735/1 का भाग होना स्पष्ट होता है तथा साबिक नक्शा ट्रेस एवं हाल नक्शा ट्रेस के अवलोकन एवं करने पर यह स्पष्ट होता है कि वादीगण की साबिक खसरा नं0–736 की 0.05 है0 दक्षण की तरफ हाल खसरा नं0–1263 में व 0.05 उत्तरी तरफ हाल खसरा नं0–1266 में वादीगण की खातेदारी भूमि से खसरा नं0–1261, 1265 से लगती हुई को शामिल कर दी।

यह है कि मिलान क्षैत्रफल में हाल आराजी खसरा नं0–1263 को साबिक खसरा नं0–737 मी., 739 व हाल खसरा नं0–1266 को साबिक खसरा नं0–741/3, 735/2, 734 से बनना बताया गया है वह भी साबिक एवं हाल नक्शा ट्रेस की तुलना करने पर गलत प्रतीत होता है क्योंकि मौके एवं नक्शे के अनुसार यह साबिक खसरा नं0–736 से भी बनने चाहिये थे वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं0–1268 से लगते हुये उत्तर की तरफ हाल खसरा नं0–1263 में से मनीष देव से हिस्सा 1166/18755 खरीद किया जो वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है हाल आराजी खसरा नं0–1263 के सम्बन्ध में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय अनुसार मनीष देव से राजीनामा होने व विवाद समाप्त हो गया। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं उसमें अंकित अभिवचनो तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का प्रतिवादीगण के द्वारा किसी भी प्रकार का खण्डन नहीं हो पाया है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को असत्य माने जाने का कोई आधार नहीं है वादीगण ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अपने वाद पत्र में अंकित अभिवचनो को पूर्णतया साबित करने में सफल हुये है अब वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध में बाबत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय डिकी किया जाना उचित एवं न्याय संगत पाते है ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं0–1268, 1264 के दक्षिण की तरफ स्थित हाल आराजी खसरा नं0–1266/2 की भूमि में से उत्तरी सीमा पर 0.05 है0 व हाल आराजी खसरा नं0–1267/1326 रकबा 0.11 है0 कुल किता–2 रकबा 0.16 है0 ग्राम साईवाड तह0शाहपुरा में प्रतिवादीगण के खातेदारी हक हकूक हजफ करके वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके हिस्से वादी सं0–1 को 1/3 हिस्सा वादी सं0–2 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण सं0–10 को हिस्सा 1/3 तथा वादीगण सं0–3 से 5 एवं तरतीबी प्रतिवादी सं0–9 को 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिये पाबन्द किया जाता है कि उक्त भूमि पर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत पैदा नहीं करे, बल्कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर शांति पूर्वक काबिज रहकर बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग करने देवे । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। तदानुसार डिक्री मुर्तिब होकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा के नाम तहरीर जारी हो।

निर्णय आज तारीख 15/9/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 199/15 पुनः दर्ज 66/2018

1. फूलचन्द पुत्र रामेश्वर
2. राधाकृष्ण पुत्र प्रहलाद
3. चम्पा देवी पत्नी कैलाश
4. नन्दकुमार पुत्र कैलाश
5. अर्जुन पुत्र कैलाश

समस्त जाति कुमावत निवासी साईवाड़ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र घासी
2. महेश पुत्र घासी
3. जगदीश पुत्र घासी
4. गोपाल पुत्र घासी

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी साईवाड तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

5. बहादुर सिंह पुत्र बनेसिंह राजपूत नि0 साईवाड़ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
6. पटवार हल्का साईवाड़ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक अधिकारी शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

9. नीरज पुत्र कैलाश कुमावत नि0 साईवाड़ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
10. सोहन पुत्र प्रहलाद कुमावत नि0 साईवाड़ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर दावा डिकी किया जाता है कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं0–1268, 1264 के दक्षिण की तरफ स्थित हाल आराजी खसरा नं0–1266/2 की भूमि में से उत्तरी सीमा पर 0.05 है0 व हाल आराजी खसरा नं0–1267/1326 रकबा 0.11 है0 कुल किता–2 रकबा 0.16 है0 ग्राम साईवाड तह0शाहपुरा में प्रतिवादीगण के खातेदारी हक हकूक हजफ करके वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके हिस्से वादी सं0–1 को 1/3 हिस्सा वादी सं0–2 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण सं0–10 को हिस्सा 1/3 तथा वादीगण सं0–3 से 5 एवं तरतीबी प्रतिवादी सं0–9 को 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिये पाबन्द किया जाता है कि उक्त भूमि पर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत पैदा नहीं करे, बल्कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर शांति पूर्वक काबिज रहकर बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग करने देवे । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज तारीख 15/4/202.. को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. अर्जी के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल जोड़		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस जोड़	